167

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण कमांक पुनरीक्षण 2064–दौ/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.09.2006 पारित द्वारा कमिश्नर सागर संभाग, सागर अपील प्र.क्र. 93–अ/6 वर्ष 2004–05

1– श्रीमती कमल सिंह बेबा राजा सिंह पुत्र रामचरण सिंह
2– राजेश सिंह पुत्र स्व. राजा सिंह
3– रूप सिंह पुत्र स्व. राजा सिंह
4– वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. राजा सिंह
2 ता 4 नाबालिग सरपरस्त मां मुस. कमल सिंह
पत्नी स्व. राजा सिंह निवसीगण तेन्दुखेड़ा
तहसील तेन्दुखेडा जिला – दमोह (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

रतन सिंह पुत्र स्व. सुख सिंह
निवासी ग्राम ललगुंवा तहसील राजनगर, जिला छतरपुर
हाल निवासी सर्किट हाऊस के पास, छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता, आवेदकगण
श्री दिलीप कुमार पासी अधिवकता अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 19–09–2016 को पारित)

यह निगरानी कमिश्नर सागर संभाग, सागर के अपील प्र.कं. 93–अ/6 वर्ष 2004–05 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2006 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत पेश की गई है।

2– आवेदक/ अनावेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

3– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मं इस प्रकार है कि ग्राम ललगुंवा तहसील राजनगर में स्थित भूमि ख.नं. 383 रकवा 2.428 एवं ख.नं. 397 रकवा 0.991 भूमि के संबंध में आवेदकगण की ओर से संहिता की धारा 115/ 116 के तहत रिकार्ड सुधार कराने बावत तहसीलदार राजनगर के समक्ष इस आश्य का आवेदन दिया कि उक्त दोनों सर्वे नम्बर की भूमि के सम्पूर्ण रकवा पर अनावेदक का नाम दर्ज हो गया है जबकि 1/2 भाग उसके स्वामित्व का है इस प्रकार प्रश्नाधीन भूमि के 1/2 हिस्से के संबंध में किया गया इन्द्राज बेबुनियाद व बोगस होने से विलोपित किया जाकर स्वत्व अनुरूप अभिलेख सुधार किया जावे उक्त आवेदन पर न्यायालय तहसील राजनगर द्वारा प्र.कं. 26/अ–6–अ/01–02 दर्ज कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 23.10.02 नजरअंदाज कर आदेश दिनांक 07.03.03 द्वारा ख.नं. 383 रकवा 2.428 है0 एवं ख.नं. 397 रकवा 0.991 है0 भूमि के 1/2 भाग पर अनावेदक के नाम की प्रविष्टि विलोपित कर उक्त भाग पर आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेख में सुधार कियेजाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो आदेश दिनांक 31.01.05 द्वारा म्याद के बिन्दु पर समय सीमा के बाहर होने से निरस्त की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा कमिश्नर सागर के समक्ष प्रस्तुत अपील में आदेश दिनांक 05.09.2006 द्वारा अपील इस आशय के साथ स्वीकार की गई कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा में मान्य कर

गुण दोषों के आधार पर अपील प्रकरण का निराकरण करें। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है ।

4– निगानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5– उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्याालयों के अभिलेख अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित भूमिस्वामी रामचरण पुत्र बन्टे सिंह था। रामचरण से अनावेदक रतन सिंह ने रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की थी तदनुसार राजस्व अभिलेख में अनावेदक का भूमिस्वामी स्वत्व पर नाम दर्ज हो गया । आवेदकगण ने ख.नं. 383 व 397 दोनों सर्वे नं. की भूमि पर से अनावेदक का 1/2 हिस्सा विलोपित कर अपने नाम दर्ज कराने बावत रिकार्ड सुधार हेतु तहसील में आवेदन दिया था आवेदन के समर्थन में रामचरण के उत्तराधिकारी होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया न ही किसी प्रकार का दस्तावेज पेश किया न कोई मौखिक साक्ष्य पेश किया जिससे यह प्रमाणित हो कि वाद भूमि उसके पूर्वज की थी इस प्रकार आवेदकगण वाद भूमि पर अपना स्वत्व भी प्रमाणित नहीं कर सके थे उसके बावजूद तहसील न्यायालय ने वाद भूमि के 1/2 भाग पर अनावेदक के स्वत्व में से कम कर आवेदकगण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया। अनावेदक ने उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो समय सीमा के बिन्दु पर निरस्त कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने कमिश्नर सागर के समक्ष अपील कर निवेदन किया था कि आवेदकगण को 20–25 वर्ष पुरानी प्रविष्टि को संहिता की धारा 115/116 के तहत रिकार्ड सुधार कराने का अधिकार नहीं था आवेदकगण रामचरण के वारिश भी नहीं है आवेदकगण दूसरे जिला के निवासी है वाद भूमि पर उनका किस प्रकार स्वत्व है अर्थात आवेदकगण अपने को रामचरण का वैध उत्तरधिकारी भी प्रमाणित

नहीं कर सके न ही वादभूमि पर अपना स्वत्व प्रमाणित कर सके इस प्रकार तहसील न्यायालय ने आवेदकगण के नाम 1/2 भाग पर बिना किसी साक्ष्य रिकार्ड सुधार किये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की थी जिसे प्रथम अपीली न्यायालय ने म्याद के बिन्दु पर अपील निरस्त कर उक्त आदेश यथावत रखने में भूल की थी जिसे कमिश्नर सागर ने आंशिक स्वीकार कर प्रथम अपीली न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जबकि कमिश्नर सागर को चाहिये था कि जब विचारण तहसील न्यायालय का आदेश ही अधिकारिता रहित था तब ऐसा आदेश किन आधारों पर स्थिर रखा जा सकताहै। इस प्रकार उक्त सभी न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों, साक्ष्य एवं आधारों पर विधिवत विचार नहीं किया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेश विधिवत एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ दोनों अपीली न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2006 एवं 31.01.2005 तथा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.3.03 विधिवत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किये जाकर तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि ख.नं. 383 रकवा 2.428 है0 एवं 397 रकवा 0.991 है0 भूमि पर 1/2 हिस्से पर से आवेदकगण का नाम निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण रकवा पर अनावेदक का पूर्ववत राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करें। तदनुसार निगरानी निराकृत की जाती है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर